झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–682 वर्ष 2017

इंदिरा देवी, पत्नी–सतीश कुमार ठाकुर, निवासी–मकान संख्या 184, रोड संख्या 5, भालुबासा, डाकघर–एग्रीको, थाना–सीतारामडेरा, जमशेदपुर, जिला–पूर्व सिंहभूम (झारखंड)

.... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. झारखंड राज्य।

2. सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड सरकार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, डाकघर–धुर्वा, थाना–जगन्नाथपुर, जिला–रांची (झारखंड)।

3. सचिव, उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखंड सरकार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, डाकघर–धुर्वा, थाना–जगन्नाथपुर, जिला–रांची (झारखंड)।

4. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, डाकघर–धुर्वा, थाना–जगन्नाथपुर, जिला–रांची (झारखंड)।

5. जिला शिक्षा अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम, डाकघर और थाना–

.... उत्तरदातागण

कोरम : **मानननीय न्यायमूर्ति श्री प्रमाथ पटनायक**

याचिकाकर्ता के लिए :– मेसर्स अमित कु0 दास और स्वाति शालिनी, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिएः– श्री कौस्ताव रॉय, सीनियर एस0सी0–III के जे0सी0

02 / 14.02.2017 तत्काल रिट आवेदन में याचिकाकर्ता ने अन्य बातों के साथ–साथ देय राशि पर अनुपयुक्त अवकाश के लिए छुट्टी नकदीकरण के भुगतान के लिए

उत्तरदाताओं को रिट/निर्देश के लिए प्रार्थना की है क्योंकि याचिकाकर्ता को इसका भुगतान नहीं किया गया है।

2. तथ्य, जैसा कि रिट एप्लिकेशन में खुलासा किया गया है, यह है कि याचिकाकर्ता को वर्ष 1980 में वेस्ट पंजाब रिफुजी मिडिल स्कूल, गोलमुरी, जमशेदपुर (पूर्वी सिंहभूम) में शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था और सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर 31.01.2015 को सेवानिवृत्त हुए थे। जिस स्कूल से याचिकाकर्ता सेवानिवृत्त हुआ है, वह एक सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूल है और विचाराधीन स्कूल के कर्मचारियों के वेतन और सेवानिवृत्त लाभों के भुगतान की दिशा में सभी खर्च सरकारी खजाने से राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित किया जा रहा है।

3. पार्टियों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता की शिकायत बहुत संकीर्ण दायरे में है और डब्ल्यू0पी0 (एस) सं0 506, 509 और 512 वर्ष 2013 में पारित इस न्यायालय के निर्णय से पूरी तरह से आच्छादित है। जहाँ तक छुट्टी नकदीकरण के भुगतान के लिए मुद्दा है, याचिकाकर्ता एक सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूलों का सेवानिवृत्त कर्मचारी है और यह मुद्दा अब अनिर्णीत विषय का नहीं रहा, इस न्यायालय द्वारा मरियम तिर्की बनाम झारखंड राज्य और अन्य जो (2014 (1) जे0बी0सी0जे0 465) में रिपोर्ट किया गया है, में पारित निर्णय के मद्देनजर और अब माननीय उच्चतम न्यायाालय द्वारा दिनांक 15.12.2014 को विशेष अवकाश अपील (सी) संख्या (एस) 20606–20607/2014 में पारित निर्णय के द्वारा पुष्टि किया गया। तद्नुसार, याचिकाकर्ता

को अवकाश नकदीकरण राशि के भुगतान के लिए पारित निर्णय के मद्देनजर रिट याचिका का निपटान किया जा सकता है।

5. उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता यह विवाद नहीं करते हैं कि सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूल के शिक्षकों को स्वीकार्य अवकाश नकदीकरण से संबंधित पूर्वोक्त मुद्दा अब मरियम तिर्की (सुप्रा) के मामले में दिए गए निर्णय जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है, द्वारा तय किया गया है।

6. पार्टियों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, ऐसी परिस्थितियों में, रिट याचिका का निपटारा प्रतिवादी संख्या–5 को निर्देश देकर किया जाता है कि वह याचिकाकर्ता के संबंधित सेवा रिकॉर्ड की उचित जांच के बाद छुट्टी नकदीकरण राशि देने के मामले में निर्णय याचिकाकर्ता की ओर से अभ्यावेदन के साथ इस आदेश की एक प्रति प्राप्त होने की तारीख से बारह सप्ताह की अवधि के भीतर मरियम टिर्की (सुप्रा) के मामले में दिए गए निर्णय के मद्देनजर लें।

7. तद्नुसार, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(प्रमाथ पटनायक, न्याया0)